अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(संपदा अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.16-3/2014 दिनांकः 2 6 AUG 2014

सूचना

विषयः एम्स के विभिन्न रिहायशी परिसरों में अवैध निर्माण को हटाने संबंधी।

एम्स के विभिन्न रिहायशी परिसरों के विभिन्न आवासियों के द्वारा अनधिकृत निर्माण करने की प्रवृत्ति को देखा गया है। यद्यपि, संपदा अनुभाग द्वारा पहले भी संबंधित व्यक्तियों को आबंटित क्वार्टर के अंदर या बाहर किसी भी तरह के अनधिकृत निर्माण को स्वयं हटाने/तोड़ने का उन्हें निर्देश दिया गया है, लेकिन इस स्थिति में कोई भी सुधार अब तक नहीं हुआ है। इस विषय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः सभी संबंधित आबंटियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना के जारी होने के 15 दिनों के अंदर उन्हें आबंटित क्वार्टर के अंदर या बाहर किए गए अनधिकृत निर्माण को स्वयं हटा दें अन्यथा आबंटित क्वार्टर को रद्द करने के साथ ही साथ नियमानुसार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

म. सिंह 26/08/14.

(एम.एस. यादव)
प्रशासन अधिकारी (संपदा)

वितरणः

1. संस्थान रिहायशी परिसर के सभी आबंटीगण (अंसारी नगर पूर्व/पश्चिम, आयुर्विज्ञान नगर, मस्जिद मोठ, खेल गांव)।
2. निदेशक महोदय के निजी सचिव।
3. उप-निदेशक (प्रशासन) महोदय के निजी सचिव।
4. उप सचिव महोदय के निजी सचिव।
5. अधीक्षण अभियंता।
6. अधिशासी अभियंता (सिविल-II)।